कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1454 / तकनीकी–08 / 2016 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय – वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत वरिष्ठ जिला पंजीयकों / जिला पंजीयकों की प्रदेश स्तरीय बैठक दिनांक 17 एवम् 18 मार्च, 2016 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अनेक जिलों में वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया जा रहा है। वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर दिनांक 14.01.2016 से प्रभावशील प्रावधान के अनुसार न्यूनतम पांच सौ रूपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रूपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया समस्त निर्माण विभागों एवम् उन विभागों, जिनके द्वारा ऐसी संविदाएं निष्पादित की जाती हैं, को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेज पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि स्टाम्प शुल्क के रूप में शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति न हो।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 1455/ तकनीकी–08 / 2016 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश – संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर वर्क कॉन्ट्रेक्ट के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

F:\Technical\Technical_Circular_2016.Doc